



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क्र. /पी.बी.आर/ 2017 निगरानी जिला ग्वालियर

R-1329-PB217

(90)

रामजीत सिंह कुशवाह पिता मिश्रीलाल कुशवाह

ग्राम सुनारपुरा खालसा हल्का उदयपुर रा.नि.,

मंडल सिरसोद तहसील व जिला ग्वालियर(म.प्र.)

..... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, ग्वालियर म.प्र.

..... अनावेदक

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. राजस्व संहिता विरुद्ध आदेश  
28.04.2017 पारित प्रकरण क्रमांक 18/2015-16/172(5) न्यायालय  
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) क्षेत्र मुरार ग्रामीण (म.प्र.)

श्रीमान् जी प्रार्थी की निगरानी प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

8/5/17

- (1) यहकि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विपरीत विधान एवं प्रकरण पत्रावली के विरुद्ध होने से निरस्थ होने योग्य हैं।
- (2) यहकि, आवेदक को एक सूचना पत्र अनावेदक द्वारा अपर तहसीलदार वृत्त सिरसोद ग्वालियर के पत्र क्रमांक क्र. /क्यू/रीडर/2016 दिनांक 08.07.2016 की रिपोर्ट ग्राम सुनारपुरा खालसा प.ह.न.89 के सर्वे नम्बर 434 मिन 1 बीघा भूमि पर मुरम का रोड डालकर अवैध प्लॉटिंग की रिपोर्ट पर कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29.07.2016 जारी कर दिनांक 13.09.2016 को उपस्थित

anjan

प्रस्तुत

मी. प्र. क्र. ४२३/१०८/८२  
द्वारा आज दि. १५.५.१७ को  
प्रस्तुत  
कलक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

व्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1329—पीबीआर/2017/राष्ट्रीय/[भास्तर] जिला ग्वालियर

स्थान दिनांक	तथा कार्यवाही तथा आदेश	फलकारी एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
12-5-2017	<p>उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28-4-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की आपत्ति इस निष्कर्ष के साथ निरस्त की गई है कि चौंकि आवेदक के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर सक्ष्य ली गई है इसलिये प्रतिपरीक्षण का अवसर देने का औचित्य नहीं है और ग्राम नगर निगम की सीमा आने से क्षेत्राधिकार नहीं है। अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">(2)</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	